सं0–921 /उन्तीस/04–2(20पे0)/2004

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

पेयजल अनुभाग– देहरादून: दिनांक 07 मई, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक, कार्यालय उत्तराचंल जल संस्थान देहरादून के पत्रांक 162/वि0अनु0धनावंटन/2004–05 दिनांक 16 अप्रेल,2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुर्नगठन/एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नवत् जनपदवार विवरणानुसार रू0 6,00,00.000/–(रू0 छः करोड़ मात्र) की धनराशि जिलायोजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यो पर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परिव्यय लाख रू0 में	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	देहरादून	242.22	64.00
2	पौड़ी	350.00	79.00
3	चमोली	175.00	37.00
4	रूद्रप्रयाग	112.00	30.00
5	टिहरी	250.00	66.00
6	उत्तरकाशी	155.00	42.00
7	हरिद्वार	129.00	33.00
8	नैनीताल	165.00	45.00
9	उधमसिंह नगर	185.00	48.00
10	अल्मोड़ा	169.00	41.00
11	पिथौरागढ़	186.00	41.00
12	बागेश्वर	169.00	36.00
13	चम्पावत	170.00	38.00
	योगः–	2457.22	600.00

कमशः— 2

2- स्वीकृत धनराशि उत्तरांचल जलसंस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत कर आहरित करके अपने पी0एल0ए0 खातें में रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए जनपद की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो तथा अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत हो। स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों । दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि देवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त धनराशि से प्रथमतया 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना, द्वितीय 50 प्रतिशत या उससे अधिक पूर्ण योजना एवं तृतीय 25 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना पर व्यय की जायेगी एवं कोई भी अधूरी योजना न रहने की स्थिति में नयी योजना में धनराशि व्यय की जायेगी ।स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत तक उपयोग एंव कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण शासन में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

7- उक्त धनराशि का आहरण विगत वर्ष उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। आहरण के पूर्व इसकी सूचना शासन को दे दी जायेगी।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपदवार उन्ही योजनाओं पर व्यय किया जाये जो जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार प्लान परिव्यय के अनुसार ही हों।

9- इस धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

10– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम –91–जिलायोजना –02– ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 98/वि0अनु0–3/2004 दिनांक– 30 अप्रैल, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

संख्या–921/(1)/उन्नीस/04–2–(56पे0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।
3– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
4– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, /पौड़ी/नैनीताल ।
5– कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल ।
6– अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान ,देहरादून ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9– निजी सचिव/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल ।
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव